2309.024	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप.। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को बार–बार आवाजा लगाई गई कोई उपस्थित नही इनके विरुद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जवाब हेतु अवसर देने बावजूद पेश नही किया अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का जवाब बंद किया जाता है। प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा डबाल पटवार हल्का डबाल तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 774 रकबा 3.00 हैक्टयर, खसरा नम्बर 534 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 603 रकबा 0.45 हैक्टयर, खसरा नम्बर 649 रकबा 1.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1412/774 रकबा 0.2324 हैक्टयर, खसरा नम्बर 293 रकबा 0.01 हैक्टयर, मुझ प्रार्थी के स्वर्गीय दादाजी अजेसी पुत्र केसरा जी का सवत् 2055 में देहान्त हो गया, जिसका नामन्तरकरण संख्या 8 दिनांक 16.09.1998 का मुझे प्रार्थी के पिताजी अप्रार्थी संख्या 1 तथा लीलाराम व हाजाराम के नाम से भरा गया। जो जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या मुझ प्रार्थी के पिताजी डोडा पोस्त के बन्धाणी है। मानसिक सन्तुलन सही नही है। अप्रार्थीगण संख्या 2 मुझ प्रार्थी का सगा भाई है। अप्रार्थीगण 1 व 2 मिलकर भूमि बेचान करना चाहते है। मुझे बेजा तौर पर नुकसान पहुचाना चाहते है। मैं मुम्बई में व्यवसाय करता हूँ अधिकतर समय मुम्बई में रहता हूँ। मेरा परिवार खेतो में बनी रहवासीय ढाणी में डबाल में रहता है। अतः मूल वाद ताफैसला तक अप्रार्थीगण के विरूद्व तथा मुझ प्रार्थी के पक्ष में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारीकर अप्रार्थीगण को जरियें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावें। हमनें वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ[illegible] किया [illegible]ावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.27 16:51:07 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]क कलेक्टर, सांचौर

Scanned with OKEN Scanner